42

संख्या– /XXVIII–5–2013–51/2012

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 06 मार्च, 2013

विषयः राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रथम चरण के आगणन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/2012/1713 दिनांक 08.02.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु गठित प्रथम चरण के आगणन ₹46.92 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹27.89 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹27.89 लाख (रूपये सत्ताईस लाख नवासी हजार मात्र) निम्न शर्तो के अधीन अवमुक्त करते हुए, व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आहरित कर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवमुक्त की जा रही धनरायिा का पूर्ण व्यय शीघ्र करते हुये वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित विस्तृत प्राक्कलन शासन को उपलब्ध कराया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमादित करना आवश्यक होगा।
4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/Xiv–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

13. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 17–अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण तथा निर्माण, 00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–245(P)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 08 मार्च, 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–138(1)/XXVIII–5–2013–51/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0ओई0सी0।
8– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव